



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 22, 2013/फाल्गुन 3, 1934

No. 395]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013/PHALGUNA 3, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2013

का.आ. 426(अ).— जबकि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क के अंतर्गत दिनांक 01.07.2009 को जारी भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के का.आ. 1610 (अ) और महाराष्ट्र राज्य में किमी 399/00 पर फेकरी गांव तालुक भुस्वाल, जिला- जलगांव के निकट इसके पहुंचमार्गों सहित रारा-6 के सूरत - धुले - नागपुर खंड (इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 6 के उक्त खंड के रूप में संदर्भित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में सम्मिलित व्यय पर ध्यान देते हुए मैसर्स फेकरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (इसके पश्चात् रियायतग्राही के रूप में संदर्भित) को इसकी अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के उक्त खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क लगाने और संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ।

और, जबकि, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रियायतग्राही के साथ 01 फरवरी, 2013 को अनुपूरक करार किया है ।

इसलिए, अब राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या का.आ. 1610 (अ) दिनांक 01.07.2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

- (i) चैनेज किमी 390/00 को किमी 399/00 के रूप में पढ़ा जाए ।
(ii) अनुसूची इस प्रकार प्रतिस्थापित की जाएगी :

अनुसूची

(महाराष्ट्र राज्य में किमी 399/00 पर फेकरी - गांव, तालुक - भुस्वाल, जिला- जलगांव के निकट रासा-6 पर आरओबी और पहुंचमार्गों के उक्त भाग के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरें)

अवधि	1	2	3	4	5
	मोटरसाइकिल, स्कूटर अथवा यंत्र चालित अन्य दुपहिया वाहन	मोटर कार, टैक्सी, जीप, पिक-अप वैन, स्टेशन वैन, टैम्पो, ट्रैल सहित अन्य ऑटो ड्राइविंग हल्के वाहन	बस	आर्टिकुलेशन रहित ट्रक, ट्रैकर और बहु धुरीय वाहन	भारी वाहन जैसे ट्रक-ट्रेलर कंबीनेशन, आर्टिकुलेशन सहित बहु धुरीय वाहन, उपर्युक्त ऋलिखित नहीं किए गए अन्य यंत्र चालित वाहन जैसे मोबाइल क्रेन डोजर्स, अर्थमूवर्स, रोड रोलर्स, कंटेनर्स
अधिसूचना सं. 1610 दिनांक 01 जुलाई, 2009 के अनुसार 04/07/2009 से 31/12/2012 तक	शून्य	10 रु.	25 रु.	30 रु.	40 रु.
01/01/2013 से 30/11/2014 तक	शून्य	10 रु.	30 रु.	35 रु.	45 रु.
01/12/2014 से 30/11/2016 तक	शून्य	10 रु.	30 रु.	35 रु.	50 रु.
01/12/2016 से 30/11/2018 तक	शून्य	15 रु.	35 रु.	40 रु.	55 रु.
01/12/2018 से 30/11/2020 तक	शून्य	15 रु.	35 रु.	45 रु.	60 रु.
01/12/2020 से 03/10/2022 तक	शून्य	15 रु.	40 रु.	50 रु.	65 रु.

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. एनएच-6-12037/55/99-एमएच]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

पाठ टिप्पणः— मूल अधिसूचना का. आ. 1610(अ), दिनांक 01 जुलाई, 2009 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2013

S.O. 426(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway number S.O. 1610 (E), dated the 1st July, 2009 and having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the Surat-Dhule-Nagpur Section of National Highway No. 6 with approaches near village Fekari, Taluka Bhusawal, District Jalgaon in Km. 399/00 in the State of Maharashtra (hereinafter referred to as the said section of National Highway No. 6), authorized M/s. Fekari Infrastructure Private Limited (hereinafter referred as Concessionaire) for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the said section of National Highway No. 6 at the rates specified in its schedule.

And whereas the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway has entered into a Supplementary Agreement on February 1, 2013 with the Concessionaire.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway makes the following amendments in the Notification number S.O. 1610 (E), dated the 1st July, 2009:

- (i) The chainage Km. 390/00 shall be read as Km. 399/00.
- (ii) The Schedule shall be substituted as follows:

SCHEDULE

(Rates of fees to be recovered from the users of the said part of ROB and approaches on National Highway No. 6 near village Fekari, Taluka Bhusawal, District Jalgaon in Km. 399/00 in the State of Maharashtra)

Period	1	2	3	4	5
	Motor Cycle, Scooter or any other two wheelers mechanically propelled vehicle.	Motor Car, Taxi, Jeep, Pick-up Van, Station Wagon, Tempo, other auto-driven Light vehicles with Trailer.	Bus	Trucks, Tankers & multi-axle vehicle without articulation	Heavy Vehicles such as Truck-Trailer combination, multi-axle vehicle with articulation other mechanically propelled vehicle not mentioned above like mobile cranes dozers, earth movers, road rollers, containers.
As per the notification No. 1610 dated 1 st July, 2009 from 04/07/2009 to 31/12/2012	NIL	Rs. 10	Rs. 25	Rs. 30	Rs. 40
01/01/2013 to 30/11/2014	NIL	Rs. 10	Rs. 30	Rs. 35	Rs. 45

01/12/2014 to 30/11/2016	NIL	Rs. 10	Rs. 30	Rs. 35	Rs. 50
01/12/2016 to 30/11/2018	NIL	Rs. 15	Rs. 35	Rs. 40	Rs. 55
01/12/2018 to 30/11/2020	NIL	Rs. 15	Rs. 35	Rs. 45	Rs. 60
01/12/2020 to 03/10/2022	NIL	Rs. 15	Rs. 40	Rs. 50	Rs. 65

This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. NH-6-12037/55/99-MAH]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal notification was published vide number S.O. 1610(E), dated 1st July, 2009.